

दरभंगा में 14 अवैध प्रोजेक्ट पर कार्रवाई निबंधन और दाखिल खारिज पर लगी रोक

जांच आयुक्त कहा, फ्लैट व प्लॉट लेने से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, दरभंगा : समाहरणालय में शुक्रवार को भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता बिहार रेरा के जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह ने की। इसमें रेरा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, अवैध प्लॉटिंग और खरीदारों के हितों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। बताया गया कि दरभंगा में 14 परियोजनाओं को चिह्नित कर रेरा उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। बैठक में संबंधित प्लॉटों के निबंधन एवं दाखिल-खारिज पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया गया है। रेरा के जांच आयुक्त ने कहा कि किसी भी घर, फ्लैट या प्लॉट में निवेश करने से पहले संबंधित परियोजना का रेरा निबंधन अवश्य जांच लें। उन्होंने कहा कि फ्लैट और भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से ही भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) कानून लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि 5300 स्क्वायर फीट से अधिक का भूखंड और अपार्टमेंट में आठ यूनिट से अधिक का बनता है, तो उसको रेरा से निबंधन करना अनिवार्य होगा।

5300 स्क्वायर फीट से बड़ा प्लॉट या आठ से अधिक यूनिट वाला अपार्टमेंट हो तो रेरा निबंधन जरूरी

इसलिए जमीन या अपार्टमेंट की खरीद सोच समझ कर करें। बैठक में रेरा की टीम ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी दिया। इसमें प्रतिभागियों को रेरा कानून के प्रमुख प्रावधानों, रेरा बिहार के कार्यों और क्षेत्रीय प्रशासन की जिम्मेदारियों के संबंध में जानकारी दी गई। वर्ष 2022 में संशोधित बिहार भवन उपनियम, 2014 के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित कराने में नगरपालिका प्रशासन की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। बैठक में वरीय भू-राजस्व अधिकारी रेरा अमरेंद्र शाही, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, डीसीएलआर सदर संजीत कुमार सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

एक ही खाता एवं खेसरा का बार-बार रजिस्ट्रेशन होने की शिकायतों पर होगी कार्रवाई: जांच आयुक्त ने



रेरा की बैठक को संबोधित करते अधिकारी व अन्य • सौ. जिला प्रशासन

कहा कि प्रोजेक्ट निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था रेरा अधिनियम का उल्लंघन करेगी तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निर्देश दिया गया कि यदि किसी कंपनी के नाम पर प्लॉटिंग या रजिस्ट्री की जा रही है तो संबंधित पदाधिकारी उसकी गहन जांच सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि एक ही खाता एवं खेसरा का बार-बार रजिस्ट्रेशन होने की शिकायतों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में किसी भी परियोजना की प्लानिंग या विकास कार्य शुरू होने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना का रेरा में निबंधन है

या नहीं। उन्होंने कहा कि नगर का विकास बेतरतीब की ढंग से नहीं हो। बिना नक्शा पास कराए मकान नहीं बनाएं। नियोजित ढंग से मकान बनाने पर रोड, पार्क, बिजली, नाली, आदि की बुनियादी सुविधा उपलब्ध होती है। जांच आयुक्त ने कहा कि नियमों के अनुरूप नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत द्वारा ही नक्शा पारित किया जाए। बिना आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए किसी भी परियोजना को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि रेरा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिले में कानून के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा।